

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1834

दिनांक 23/08/22

प्रार्थीगण :-

- 1.गोसाईराम
- 2.नरसिंगाराम पि.दीपाराम
- 3.अणसीदेवी पत्नि दीपाराम, जाति मेगवाल निवासी विरड़ों का तला, बिसारणिया तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

- 1.खरथाराम पुत्र ठाकराराम
- 2.प्रकाश पुत्र बीजाराम
- 3.खेताराम पुत्र रूधाराम
- 4.राणाराम पुत्र हरचंदराम
5. खमाराम पुत्र तुलसाराम
- 6.देवाराम पुत्र फूसाराम
- 7.मोहनराम पुत्र कालूराम
- 8.अमेदाराम पुत्र लालाराम
- 9.चौखाराम पुत्र विरधाराम, जाति मेगवाल
- 10.टीकूराम पुत्र नानगाराम
- 11.नगाराम पुत्र दमाराम जाति जाट
- 12.बालाराम पुत्र वभूताराम जाति सुथार निवासी विरड़ों का तला (बिसारणिया) तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 62/2022

दिनांक : 23.08.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बिसारणिया के मौजा विरड़ों का तला के खेत खसरा सं. 1190/864, 1194/864, 1195/864, 863 रकबा 01.5702, 02.3553, 00.5504, 00.1295 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1835 to 1838

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण गोसाईराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण खरथाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 23/08/22

(भागीरथ)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन